झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सत्र 2023-25 के लिए नियमित एवं स्वतंत्र रूप से पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के डाटा सत्यापन के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 65/2023

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 11 एवं इंटरमीडिएट परीक्षा संबंधी पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरे जाते है। पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र में डाटा प्रविष्टि के दौरान त्रुटि होने की स्थिति में छात्र/छात्राओं एवं माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि में त्रुटियाँ की सम्भावना बनी रहती है। फलस्वरूप छात्र/छात्राओं को भविष्य में कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इससे राज्य के +2 विद्यालयों/इंटर महाविद्यालयों की छवि धूमिल होती है। साथ ही साथ परिषद् को भी वैसे छात्र/छात्राओं की त्रुटियों के संशोधन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Error free Registration एवं Examination form के निमित्त उक्त के आवश्यक संशोधन कार्य हेतु +2 विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर एक कैम्प का आयोजन किया जाना आवश्यक है।

तद्नुसार एतद् द्वारा कक्षा 11 की परीक्षा, 2024 (सत्र 2023-25) एवं वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, 2024 में साम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 11 की परीक्षा, 2024 (सत्र 2023-25) एवं वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होनेवाले छात्र/छात्राओं के पंजीकरण में अंकित डाटा (चेकलिस्ट) का मिलान करने एवं **आवश्यक संशोधन हेतु प्रत्येक +2 विद्यालय/महाविद्यालय में दिनांक 04.12.2023 एवं 05.12.2023 को दो दिवसीय कैम्प का आयोजन किया जायेगा।** संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान संबंधित छात्र/छात्राओं का चेकलिस्ट सभी छात्र/छात्राओं को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। छात्र/छात्रा एवं उनके अभिभावक उक्त चेकलिस्ट का गम्भीरता से अवलोकन करेंगे तथा छात्र/छात्रा एवं उनके अभिभावक चेकलिस्ट पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि किसी तरह की संशोधन की आवश्यकता हो तो, उसी समय चेकलिस्ट तथा निर्धारित प्रपत्र में संशोधन करते हुए +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान के पास जमा करेंगे। +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान उक्त संशोधन की समेंकित विवरणी बनाकर सुरक्षित रखेंगे। परिषद् द्वारा ऑनलाइन संशोधन हेतु निर्धारित अवधि में उक्त समेकित विवरणी के आधार पर ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा।

सभी छात्र/छात्राओं को उक्त कैम्प में आकर अपने डाटा का मिलान करना आवश्यक होगा। सभी छात्र/छात्रा को अपने आधार कार्ड की छायाप्रति, फोटो (पासपोर्ट साइज) एवं अपने पिता/माता या अभिभावक के आधार कार्ड की छाया प्रति लाना आवश्यक होगा। यदि ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि किसी +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा कैम्प का आयोजन नहीं किया गया है तो उनके विरूद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

नोट :- सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान इस कैम्प के आयोजन संबंधी सूचना अपने सूचना-पट्ट पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित करते हुए सभी छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि सभी छात्र/छात्राओं की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो सके।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/गो./3895/23/SECY/953/23
Dt. 28.11.2023, D.O.P: 29.11.2023